न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2019RAAJu225RTA154 Akhesingh Vs State etc

अखेसिंह पुत्र जवाहरसिंह राजपुरोहित
निवासी ग्राम बडली, तहसील व जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर
2. खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग
   सर्किट हाउस रोड, जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दिनांक 13 अगस्त 2019 राजस्व प्रकरण संख्या 08/2014 राजस्थान सरकार बनाम अखेसिंह

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री गोपालसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व दो

नि र्ण य

दिनांक : 13 दिस., 2019

अपीलाण्ट्स ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 08/2014 राजस्थान सरकार बनाम अखेसिंह में पारित निर्णय दिनांक 13 अगस्त 2019 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 15 अक्तूबर 2019 को पेश की है।

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जोधपुर ने राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर जाहिर किया कि राजस्व ग्राम बडली जिला जोधपुर के खसरा संख्या 319/2 रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा अप्रार्थी-अपीलाण्ट की खातेदारी की कृषि भूमि है, मगर अवैध खनन की रोकथाम हेतु खनन-विभाग द्वारा गठित दल द्वारा मौका निरीक्षण की कार्यवाही में अवैध खनन का कार्य किया जाना पाया गया। अतः इस खातेदार की वादग्रस्त आराजी बाबत खातेदारी अधिकार समाप्त किये जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी-अपीलाण्ट को तलब किया गया, मगर अप्रार्थी-अपीलाण्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 को स्वीकार करते हुए आराजी खसरा संख्या 319/2 रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा वाके मौजा बंडली में से खनन कार्य हेतु प्रयुक्त की गयी भूमि सिवायचक घोषित कर राज्य सरकार को समायोजित कर अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की खातेदारी समाप्त कर दी। उक्त आदेश के खिलाफ अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित विन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 3, जोधपुर महानगर द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 85/2015 में महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 30 अक्तूबर 2017 में अपीलाण्ट को किसी प्रकार का अवैध खनन करने का दोषी नहीं माना गया। उक्त आदेश की प्रति अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 11 मार्च 2013 में साफ वर्णित किया गया है कि वक्त मौका रिपोर्ट कोई खनन कार्य नहीं किया जा रहा था। खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सख्या 319/2 के कई सहखातेदार है; जिनके मध्य आदिनांक तक औपचारिक कोई बंटवारा नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में बिना किसी ठोस आधार व सुनवाई का अवसर दिये अकेले अपीलाण्ट को ही अवैध खनन के लिए दोषी करार दिया जाना न्यायोचित एवं विधिमान्य नहीं है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के प्रकरण में प्रतिवाद की स्थिति में आवेदन में एक नियमित वाद की तरह ही परीक्षण किये जाने का प्रावधान है, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो आलौच्य मामला दैनिक कॉजलिस्ट में अंकित किया गया, न पक्षकारान की साक्ष्य लिपिबद्ध की गयी और न सुनवाई का अवसर दिया गया। अपीलाण्ट्स की जानकारी के बिना ही एकमुश्त सभी समान प्रकरणों में एक जैसा आदेश पारित कर दिया गया, जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। इतना ही नहीं, जो भूमि अवैध खनन हेतु प्रयुक्त किया जाना समूचे प्रकरण में बार-बार बताया जाता रहा है, उसका मात्र क्षेत्रफल ही अंकित किया जाता रहा है, किसी भी स्तर पर उस विशिष्ट भू-भाग का वर्णन नहीं किया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि भौतिक तौर पर मामले में मौका मुआयना किया ही नहीं गया, अपितु मात्र कागजी कार्यवाही कर खानापूर्ति की गयी है।

इसके अतिरिक्त मौका मुआयना कब किया गया और अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थनापत्र कब प्रस्तुत किया गया? यह भी विचारणीय है, इस संबंध में मौका मुआयना करने की निश्चित दिनांक की जानकारी कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में परिसीमा विहित तीन साल की निर्धारित समयावधि में पेश किया जाना भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा अपील खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपयोग करते हुए अवैध खनन किया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत विधि-विरुद्ध कृत्य है। अंतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2059 के अनुसार खसरा संख्या 319/2 रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा में से खसरा संख्या 319/10 रकबा 18 बीघा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में शेष रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा में ही खनन सम्भावित है और वह भी 0.5 मीटर तक। इसलिए सम्पूर्ण रकबे के संबंध में पारित आदेश विधिसम्मतः नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के बिन्दु संख्या तीन में वर्णित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो खनि-विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु एक दल बनाया जाकर विशेष अभियान के तहत तहसील क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। प्रार्थनापत्र के बिन्दु 4 में उक्त दल द्वारा वक्त निरीक्षण वादग्रस्त आराजी में अवैध खनन किया/करवाया जाना पाया जाने पर दल द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाना अंकित किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसी कोई रिपोर्ट या उसकी प्रति उपलब्ध नहीं है और न ही ऐसी किसी कार्यवाही की दिनांक, ऐसे किसी दल के मुखिया आदि के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अदालत हाजा के समक्ष अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 3 जोधपुर महानगर द्वारा आपराधिक प्रकरण संख्या 85/2015 राजस्थान राज्य बनाम अखेसिंह पुत्र ज्वारसिंह राजपुरोहित में पारित निर्णय दिनांक 30 अक्तूबर 2017 की प्रति पेश की, जिसमें न्यायालय द्वारा आराजी खसरा संख्या 319/2 में अखेसिंह द्वारा अवैध खनन किया जाना संदेह से परे सिद्ध होना नहीं माना है।

समूचे प्रकरण में खसरा संख्या 319/2 में अपीलाण्ट द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर अवैध खनन किया जाना वर्णित किया गया है, मगर उसका हिस्सा खसरा संख्या 319/2 के सम्पूर्ण रकबे में कितना? किस तरफ है? यह पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 11 मार्च 2013 तथा अन्य किसी भी स्तर पर स्पष्ट नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश के जरिये उक्त भू-भाग बाबत अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स के हिस्से की भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार को दिये गये है। से अपीलाण्ट द्वारा अपने हिस्से पर अवैध खनन किया जाना वर्णित करते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये उक्त भू-भाग बाबत अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की खातेदारी निरस्त की जाकर यह भू-भाग राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार को दिये गये है। **मगर अपीलाण्ट के हिस्से का यह भू-भाग विशेष है कौनसा? कहीं पर भी सुनिश्चित नहीं किया गया** है। मौका रिपोर्ट तक में अवैध खनन वाले भू-भाग विशेष की अवस्थिति/हदूदो आदि का विवरण नहीं दिया गया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के मामले एक नियमित वाद की भांति ही प्रकिया अपनाई जाकर निस्तारित किये जाने का प्रावधान है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177(4) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि --

177(4) If appearance is made within the time specified in the notice and the liability to ejectment is contested, the court shall, on payment of the proper court fees, treat the application to be plaint and proceed with the case as a suit:

मगर पत्रावली में अपीलाण्ट के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही का वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्ति की भी कोई रिपोर्ट नहीं है। इसके अभाव में धारा 63 के तहत खातेदारी अधिकार निर्वासित नही हो सकते। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसे नजरअंदाज कर दिया गया।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 बहाल रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 अपास्त जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर